न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प, भोपाल (म.प्र.)

नि/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/1762 निगरानी प्रकरण क. --/2017

श्रीमती जैनब बी, आयु लगभग 44 वर्ष
पत्नी श्री सज्जाद हुसैन, जाति कोहरा,
निवासी– मोहल्ला बोहरबाड़ी, सिरोंज,
जिला विदिशा (म.प्र.) .... आवेदिका

विरुद्ध

1. श्रीमती रामकली बाई पत्नी स्व. श्री निरंजन सिंह
2. घासीराम पुत्र श्री निरन्जन सिंह
3. नरेश पुत्र श्री निरंजन सिंह
4. मुकेश सिंह पुत्र श्री कमलेश सिंह
5. कमलेश पुत्र श्री निरंजन सिंह
   समस्त जाति रघुवंशी,
   निवासीगण– ग्राम आमाढाना,
   तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र)
6. श्रीमती चिंता बाई पत्नी श्री लाल साहब
   जाति रघुवंशी, जाति ग्राम नोलाई,
   तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा (म.प्र.)
7. श्रीमती तारा बाई पत्नी श्री प्रेम सिंह,
   जाति रघुवंशी, निवासी– ग्राम बरवासा,
   तहसील बासोदा, जिला विदिशा (म.प्र.)
8. मेहमूद अनवर खां उर्फ मोहम्मद अनवर खां
   पुत्र श्री मोहम्मद इल्यास खां
9. रमीज़ खां पुत्र श्री मोहम्मद इल्यास खां
10. जहांनाज खानम पत्नी श्री मोहम्मद इल्यास खां,
   समस्त जाति मुसलमान, निवासी– 12, टोलवाली
   मस्जिद, बुंधवारा, भोपाल (म.प्र.) .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदिका न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सिरोंज, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्र. 84/अपील/2014–15 में पारित आदेश **दिनांक** 22.02.2017 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न **तथ्यों** एवं आधारों पर प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा **प्रथम** अपील न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सिरोंज के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई थी कि ग्राम आमाढाना, तहसील सिरोंज में आवेदिका के भूमिस्वामी **स्वत्व** व आधिपत्य की भूमि खसरा क. 82/170 क्षेत्रफल 0.531 हेक्टेयर स्थित है, **उक्त भूमि** के संबंध में आवेदिका को एक सूचना–पत्र तहसील कार्यालय, सिरोंज से प्रकरण क्र. अ–6/14–15 में

....2..

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/1762

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री राजेश गिरी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	